राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५) तृतीय विधानसभा के पंचम् सत्र, १९६४ का प्रथम दिवस (संख्या १

शुक्रवार, दिनांक २१ फरवरी, १९६४

———

विधानसभा की बैठक म. प. ४.३१ बजे विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

श्री मान्धातासिंह द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री अध्यक्ष – श्री मान्धातासिंह ।

(श्री मान्धातासिंह (महुग्रा) ने शपथग्रहण की)

श्रद्धाञ्जलियां

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन की बैठक और इस सदन की बैठक के बीच में दुर्भाग्य से कुछ महान् व्यक्तियों का देहावसान हुआ । उदाहरण के तौर पर सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति, श्री कैनेडी भारत के एक अनन्य मित्र थे और मानव जाति के भी अनन्य मित्र थे । उन्होंने नीग्रोज़ के प्रति अमेरिका में जो भेद-भाव था उसे मिटाने के लिए नीति दृढ़तापूर्वक अपनाई । साथ ही संसार में सुख-शांति स्थापित हो उसके लिए विविध कदम उठाये । दुर्भाग्य से एक व्यक्ति ने २२ नवम्बर, १९६३ को उनकी हत्या कर दी । यह सारे संसार के लिए एक बड़ा भारी आघात था ।

उसी दिन दुर्भाग्य से हमारे देश के चार फौजी सेनापति और एक नभ-सेना के सेनापति की एक हेलीकोप्टर के एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई । उनके देहावसान से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

बम्बई (महाराष्ट्र प्रदेश) के मुख्य मंत्री श्री कन्नमवार की २४ नवम्बर, १९६३, को बम्बई में मृत्यु होने से एक बहुत बड़े और पुराने देश-सेवी हमारे बीच में से उठ गये । उन्होंने महाराष्ट्र में स्वतन्त्रता संग्राम के समय से लगा कर अब तक विविध अवसरों पर अपने कर्त्तव्यों का पालन किया था ।

६ फरवरी, १९६४ को संसद् सदस्या, श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर, जो पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल की भी सदस्या थीं - स्वास्थ्य मंत्राणी थीं, के देहावसान से भी भारतवर्ष को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है ।

श्री पणिक्कर, जिनका सम्बन्ध बीकानेर से उस समय रहा जब वे वहां प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, का भी १० दिसम्बर, १९६३, को देहावसान हुआ ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके बाद अभी कुछ दिन पहले १३ फरवरी, १९६४, को वी. टी. कृष्णामाचारी, जो जयपुर रियासत के जमाने में यहां के प्रधान मंत्री थे और बाद में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के पद पर रह कर जिन्होंने देश के आर्थिक विकास में काफी सहयोग दिया, मार्ग-दर्शन दिया, के देहावसान से भी देश को बहुत भारी क्षति हुई है।

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इनके संतप्त परिवारों को धैर्य प्रदान करे।

मैं निवेदन करूंगा कि इन सबके परिवारों को इस सदन के द्वारा प्रकट की गई सम्वेदना प्रेषित कर दी जाय। साथ ही मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि दो मिनट हम खड़े रह कर, मौन रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (विपक्ष के नेता): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का सादर समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: सदन के माननीय नेता ने कुछ महान् व्यक्तियों के निधन पर अपने विचार व्यक्त किये और विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने उनका समर्थन किया। सदन के नेता ने जो सुझाव रखा कि दो मिनट मौन खड़े रह कर सदन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, उसके अनुसार श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। जैसी कि भावना व्यक्त की गई है, उनके परिवार वालों को सदन की सम्वेदना से सूचित कर दिया जायेगा।

(४ . ४० म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

श्री अनोपसिंह (सचिव, राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

[कृपया परिशिष्ट देखिये]

(ख) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूँ:

१. विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त हुई:

इण्डियन सोलजर्स [लिटिगेशन] [जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार] विधेयक, १९६३.

२. विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त हुई:

(१) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३.

Page No. 3

(२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(३) राजस्थान विनयोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३.

(४) राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(५) राजस्थान मनोरंजन और एडवर्टाइजमेंट कर (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(६) राजस्थान विनयोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३.

(७) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(८) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६३.

(ग) अध्यादेश

(१) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट्स एण्ड एडवर्टाइजमेंट्स टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(२) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६३

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ [अध्यादेश सं० ३ सन् १९६३] को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(३) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश सं० ४ सन् १९६३) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(४) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३.

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश सं० ५ सन् १९६३) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(५) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९६४

श्री रामप्रसाद लड्ढा [उप-मंत्री, राजस्व]: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ [अध्यादेश संख्या १ सन् १९६४] को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(६) राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १९६४

श्रीमती प्रभामिश्रा [उप-मंत्री, चिकित्सा]: अध्यक्ष महोदय, मैं नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १९६४ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६४) को सदन की मेज पर रखती हूँ।

(७) राजस्थान विश्वविद्यालय (पुनर्गठन सत्ताओं का वैधकरण) अध्यादेश, १९६४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको तो वे वापिस ले लें। इसको तो वापिस ले लीजिये, दो अदालतों के फैसले के बावजूद इसको मत रखिये। सोच लीजिये।

एक माननीय सदस्य : कल तक सोच लेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पुनर्गठन सत्ताओं का वैधकरण अध्यादेश, १९६४ [अध्यादेश संख्या 3 सन्, १९६४] को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(घ) नियम

राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ में संशोधन

अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ के अन्तर्गत, होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ, १ (३) । ४२ । एच. बी जी. आर. ६३ दिनाङ्क २३ नवम्बर, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूँ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम १७३ में संशोधन किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir......

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के अनुसार यह बताया जावे कि संशोधन किया जा रहा है वह क्या संशोधन है। अब तक की परम्परा इसी प्रकार की रही है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ...,

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परम्परा रही है कि जो संशोधन सदन की मेज पर रखे जावें उनका विवरण प्रस्तुत किया जावे। ये विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। चार संशोधन सदन की मेज पर रख रहे है, इसकी जानकारी दी जावे। मुझे इस बात का खेद है कि मंत्री महोदय इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब नोट देख कर सदन को बताना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की है कि मन्त्री महोदय को ये नियम सदन में प्रस्तुत करने के साथ साथ एक वक्तव्य भी देना उचित था जिससे पता चल जावे कि किस तरह का संशोधन है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जरूरत है। सदन में इस तरह की पहले कार्यवाही हुई तो यहां पर अधिक देर हुई है। पहले इन परिस्थितियों के बारे में सदन में कभी विचार हुआ हो, लेकिन जो नियम यहां रखे जावें उन पर वक्तव्य देना प्रारम्भ करें तो मैं समझता हूँ कि सदन का बहुत लम्बा समय व्यर्थ रूप से लिया जावेगा। मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष नियम रखे हैं, माननीय सदस्य देख सकते हैं और अपने विचार नियमानुसार व्यक्त कर सकते हैं।

विधेयकों का पुरःस्थापन

१. राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूँ ।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय,.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) Point of Order, Sir...

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय बोलने लगे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ग्राफ ऑर्डर है ।

अभी वित्त मन्त्री ने राजस्थान एन्टर्टेनमेंट एण्ड एडवर्टाइजमेंट्स टैक्स एमेंडमेंट बिल, १९६४ में जो प्रस्ताव किया उसमें सदन की अनुमति नहीं ली गई पुरः स्थापित करने की ।

श्री अध्यक्ष : जो विधेयक पहले छप चुका है उसमें पहले अनुमति लेने की जरूरत क्या है ? उसमें कोई एडीशन नहीं है इसलिये जरूरत नहीं । मैं समझता हूँ, कौल साहब ऐसा ही जवाब देते ।

२. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूँ.।

(विराम)

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

३. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री भीखाभाई, (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं ।

(विराम)

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद संशोधन अध्यादेश, १९६३ व राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६३ जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

४. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं ।

Page No. 6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(विराम)

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू संशोधन अध्यादेश, १९६४ जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

५. राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन एवम् वैधकरण विधेयक, १९६४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४ को को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पुनर्गठन सत्ताओं का वैधकरण अध्यादेश, १९६४ जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन को मेज पर रखता हूं।

६. राजस्थान उपहार वस्तुएं व्यापार तथा अवैध कब्जा विधेयक, १९६४

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गिफ्ट गुड्स (ट्रेड एण्ड अन-लॉफुल पजेशन) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान गिफ्टगुड्स (ट्रेड एण्ड अनलॉफुल) पजेशन बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

७. बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री बालकृष्ण कौल (वित मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बोम्बे प्रोहिबिशन राजस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं।

८. राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक १९६४

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फिशरीज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान के विभिन्न विभागों के प्रशासन प्रतिवेदन एवम् अन्य प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में माननीय गृह मन्त्री जी ने यह आश्वासन इस सदन को दिया था कि अगली बार बजट सत्र होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत कर दी जायेंगी। इसके अलावा कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है, उनके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्य

(श्री भैरोंसिंह)

अन्धेरे में हैं. जब तक इस प्रकार के प्रतिवेदन सदन की मेज पर नहीं रखे जायेंगे तब तक माननीय सदस्य अपनी राय इस सदन के समक्ष नहीं रख सकेंगे। तो मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी की रिपोर्ट जो श्री हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने तैयार की थी, रूरल वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसका पता नहीं लग रहा है कि वह कहां गई, वे सब रिपोर्ट्स-एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस की रिपोर्ट, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, इकॉनॉमिक स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया है–इस प्रकार की पब्लिक सेक्टर की जितनी रिपोर्ट्स हैं वे सदन में कभी भी पेश नहीं की जाती हैं। पिछली बार सदन में माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अगला बजट सत्र होगा तो ये रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत कर दी जायेंगी। आज बजट अधिवेशन शुरू होता है तो मैं आपके द्वारा ट्रेजरी बैंचेज से यह निवेदन करूंगा कि इन सब रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री); माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा की है, खास तौर से तीन तरह की रिपोर्ट्स की चर्चा की है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स की रिपोर्ट, लैंड रेवेन्यू रिफोर्म्स की रिपोर्ट, मिड टर्म एप्रेजल ऑफ दी प्लान और दूसरे महकमों की रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा की। मैंने गत अधिवेशन में जरूर कहा था कि हम इस पर गौर करेंगे कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स पेश हों। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मिड टर्म-एप्रेजल ऑफ दी प्लान की रिपोर्ट बजट पेश होने से पहले पहले सदन की मेज पर रख दी जायगी। बाकी जो इन्टेरिम रिपोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी की रिपोर्ट, श्री हरिश्चन्द्र माथुर जिसके कन्वीनर थे, भू-राजस्व कमीशन की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट्स, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया, वे राजस्थान सरकार के विचाराधीन हैं; ज्योंही सरकार इन पर विचार कर लेगी वे रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रख दी जायेंगी।

श्री भैरोंसिंह : वे तो पेपर्स में पब्लिश हो चुकी हैं। क्या सरकार उन्हें अब भी कॉन्फिडेन्शियल समझती है?

श्री मथुरादास माथुर : जो पेपर्स में पब्लिश हुई हैं वह उन रिपोर्ट्स का थोड़ा हिस्सा है। मैं नहीं कहता कि कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स हैं, पर जब रिपोर्ट्स पर चर्चा हो तो यह आवश्यक है कि राजस्थान सरकार भी उन पर अपना निर्णय ले ले।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार तो असेम्बली के डिस्कशन्स के आधार पर ही निर्णय लेगी?

श्री मथुरादास माथुर : इस सदन के दौरान ये रिपोर्ट्स रखी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह ने जो बात उठाई है उसमें बहुत तथ्य है। एक सम्यक् तौर से बात रखी गई कि जो भी समितियां गठित की जाती हैं, जो भी कमेटीज सरकार बनाती है, जिन पर इतना रुपया व्यय होता है, हमारे देश के और बाहर के विद्वान् लोग हमारी समस्याओं पर विचार करते हैं

(श्री अध्यक्ष)

और उनकी उन विषयों पर व्योइस, उनकी एक अधिकृत राय उन रिपोर्ट्स में आ जाती है, उन रिपोर्ट्स पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिये। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हो सकती हैं कि उन पर सरकार विचार करके बाद में पत्रों में चर्चा करे, पर कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन पर इस सदन में चर्चा होने से सरकार को मदद ही मिलेगी। तो विधि मंत्रीजी ने आश्वा- दिया है। सामान्य तौर से, वे इस पर विचार करेंगे और मंत्री महोदय भी सोचेंगे कि कौनसी रिपोर्ट्स हैं कि उन सारी रिपोर्ट्स को जल्दी से जल्दी सदन के समक्ष रखा जाय, ताकि उन पर विचार हो सके और इससे सरकार को भी मदद मिल सके। विशेष तौर से विभागों की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में अनिवार्य तौर से बजट पेश होने से पहले हर विभाग की रिपोर्ट आ जानी चाहिये। इस सम्बन्ध की चर्चा कभी की सरकार से चल रही थी; मैं समझता हूँ कि इन रिपोर्ट्स को मंगाने का विशेष तौर से प्रयास किया जायगा।

जैसा कि विधि मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है, स्टेट एन्टरप्राइजेज भी शामिल हों, उनकी रिपोर्ट्स भी सदन में आ जाय ताकि उन विभागों पर बजट के समय विचार हो कि क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनकी जानकारी लेकर बहस में हिस्सा लें तो क्रिया- त्मक ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार उस पर विचार करेगी।

अब सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५६ बजे दिनाङ्क २२ फरवरी, १९६४ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक २१ फरवरी, १९६४)

स्तम्भ

शपथ १

महुग्रा क्षेत्र से नव निर्वाचित सदस्य श्री मान्धातासिंह ने शपथ ली।

श्रद्धाञ्जलियां १

भारतीय नभ सेना व स्थल सेना के उच्चाधिकारियों की पुंछ क्षेत्र में हैलीकोप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने एवं इनके अतिरिक्त संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, स्वर्गीय जॉन० एफ० केनडी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री एम. एस. कन्नमवर, सरदार के. एम० पणिक्कर, राजकुमारी अमृतकौर एवं श्री वी० टी० कृष्णामाचारी के निधन पर सदन में श्रद्धाञ्जलियां अर्पित करते हुए सम्वेदना प्रकट की गई।

३. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गये :

(क) राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ४

सचिव, राजस्थान विधानसभा, ने २१ फरवरी, १९६४ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

(ख) राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक ४

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

स्तम्भ

विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त हुई :

इण्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १९६३.

विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त हुई :

(१) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(३) राजस्थान विनयोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३.

(४) राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(५) राजस्थान मनोरंजन और एडवरटाइजमेंट कर (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(६) राजस्थान विनयोग (संख्या ५) विधेयक, १६६३.

(७) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६३.

(८) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६३.

(ग) अध्यादेश ५

निम्नांकित अध्यादेश संबंधित मंत्री महोदयों द्वारा सदन की मेज पर रखे गये :-

(१) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, १६६३ (अध्यादेश सं० २ सन् १६६३)

(२) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १६६३ (अध्यादेश सं० ३ सन् १६६३)

(३) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १६६३ (अध्यादेश सं० ४ सन् १६६३)

(४) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६६३ (अध्यादेश सं० ५ सन् १६६३)

(५) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १६६४ (अध्यादेश संख्या १ सन् १६६४)

(६) राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १६६४ (अध्यादेश सं० २ सन् १६६४)

(७) राजस्थान विश्वविद्यालय (पुनर्गठन सत्ताओं का वैधकरण) अध्यादेश, १६६४ (अध्यादेश संख्या ३ सन् १६६४)

(घ) नियम

मोटर विहिकल्स अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ के अन्तर्गत होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (३) । ४२ एच. बी. जी. आर. I ६३ दिनांक २३ नवम्बर, १६६३ जिनके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १६५१ के नियम १७३ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखी गई ।

४. पुरःस्थापित विधेयक ६

(१) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १६६४ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

(२) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६४ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

(३) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १६६४ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखा गया)

(४) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६६४ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)

Page No. 11

स्कम्भ स्कम्भ

(५) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखा गया)

(६) राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४ (सदन की आज्ञा के पश्चात्)

(७) बाम्बे प्रोहीबीशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६४

(८) राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४

शनिवार, दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद—विवाद ।

———

परिशिष्ट

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आपका स्वागत करने में मुझे प्रसन्नता है ।

२. १९६३ का वर्ष राज्य के अर्थ तंत्र के लिये समस्याओं का समय था । चीनी आक्रमण, पाकिस्तान के अमैत्रीपूर्ण रुख और राजस्थान के बड़े भाग में फैली हुई अभाव की परिस्थितियों के कारण लोगों को इस वर्ष काफी असुविधायें उठानी पड़ीं । यह सब होते हुए भी विकास और उन्नति के कार्य दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाये गये ।

३. यह हमारी निश्चित नीति है कि मातृभूमि की मर्यादा और स्वतंत्रता की सर्वभावेन रक्षा हो, समाज कल्याण के कार्य जारी रहें और लोकतंत्रीय आधार पर समाजवादी समाज का निर्माण होता रहे । राज्य सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति की ओर सतत् प्रयत्नशील है ।

४ सरकार वचनबद्ध है कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय संपत्ति तथा नागरिकों की व्यक्तिगत आय को बढ़ायें, कुछ हाथों में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोकें और समाज के दुर्बल और साधनहीन वर्गों की रक्षा करें ।

५ अपने गत वर्ष के भाषण में मैंने विस्तार के साथ उन प्रयत्नों का वर्णन किया था जो चीनी आक्रमण के मुकाबले के लिये सरकार और जनता द्वारा किये गये। उपर्युक्त संदर्भ में जनता से धन और साधनों के रूप में प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त हुआ और सब लोगों ने देश हित में जिस साहस और त्याग का परिचय दिया उस पर हमको गर्व है । चीनी आक्रमण का मुकाबला करते हुए रणभूमि में खेत रहने वाले, अपंग होने वाले और युद्ध भूमि में सेवारत् लोगों के आश्रितों और परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने नकद और जमीन के रूप में और निःशुल्क शिक्षा के रूप में बहुत सी रियायतें दी हैं ।

६. सीमा की निगहबानी, और राष्ट्रीय संकटकाल में तेजी से उठ खड़े होने वाले समाज विरोधी तत्वों के मुकाबले, के लिये राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को अधिक साधन सम्पन्न और सुदृढ़ बनाया है । राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल की चार और बटालियनें भरती की गई हैं जिनमें से दो की सेवायें केन्द्रीय सरकार को सुलभ की गई हैं और शेष दो राज्य में काम कर रही हैं ।

७. गत वर्ष में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही । जरायम की रोक और खोज की स्थिति में सुधार हुआ । इस अर्से में हमारे डकैती विरोधी अभियान में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई । कई डाकू दलों का सफाया किया गया और कई ने आत्मसमर्पण कर दिया । राज्य के पश्चिमी भाग में उपद्रव करने वाले जगमालसिंह और तेजसिंह डकैतों के गिरोहों को समाप्त कर दिया गया और भाटी गिरोह के १६ सदस्यों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण

किया। मध्य प्रदेश सीमा पर शंकरसिंह के गिरोह को भी समाप्त कर दिया गया। १९६३-६४ के वर्ष में ११६ डकैत गिरफ्तार हुए, ७६ ने आत्मसमर्पण किया और १० पुलिस के साथ मुकाबले में मारे गये।

८. पिछली वर्षा ऋतु में अपर्याप्त वर्षा होने और खास कर सितम्बर, १९६३, में वर्षा के अभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में खरीफ की फसल खराब हो गई। फलस्वरूप १३ जिलों और ५८ तहसीलों में फैले हुए ३०,७१६ वर्गमील इलाके में अभावजनित परिस्थितियां व्याप्त है और करीब २६ लाख व्यक्ति अभावग्रस्त है। राज्य सरकार ने इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये ठीक समय पर उचित कदम उठाये है। ज्यों ही सूखे के आसार मालूम हुए त्यों ही राहत कार्यो का आरम्भ किया गया और मवेशियों के स्थानान्तर के लिये व्यवस्था की गई। चारे के बीस डिपो कायम किये गये जहां चारे और मनुष्यों व पशुओं के लिये पेय जल का प्रबन्ध किया गया। मवेशियों को चिकित्सा संबधी सहायता पहुंचाने के लिए चल-चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई। इस बात का इन्तजाम भी कर दिया गया कि अभावग्रस्त क्षेत्रों से लोग राजस्थान नहर क्षेत्र ...रे हुए विभिन्न कामों पर जा सकें। उनको निःशुल्क यातायात सुविधा और प्रति व्यक्ति ५ रुपया सफर खर्च के लिये देने की व्यवस्था की गई। इन क्षेत्रों में पेय जल की भारी समस्या है। अतः यहां कूपों से खेंचकर, रेलों अथवा टंकी वाले ट्रकों द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिये ६,१३,५०० रु० का प्रावधान किया गया है। अकाल राहत संबंधी निर्माण कार्यों के लिये १२५ लाख रुपयों का प्रावधान किया है, जिसमें से ६८,३०,००० रु० की मंजूरी अभी तक दी जा चुकी है। चारा ३ रु० फी मन की रियायती दर पर बेचा जाता है और आयोजित २४२ चारा-डिपों में से ८० डिपो इस वक्त कार्य कर रहे है। कुछ स्थानों पर लोकसेवी जन संस्थाओं ने भी राहत का काम हाथ में लिया है। राज्य में जो चारा मिल सका उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, से भी चारे का प्रबन्ध किया गया है। मुसीबत के समय सहायता पहुंचाने के लिये हम इन साथी राज्यों के कृतज्ञ हैं। दुर्बल और वृद्ध पुरुषों के लिये विशेष राहत की व्यवस्था की गई है और खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित संस्थाओं की मार्फत कारीगरों आदि को काम दिलाने का प्रबन्ध किया गया है। तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी परियोजनायें भी तैयार करली गई हैं जिन पर यदि जरूरत हो तो मार्च के बाद फौरन काम शुरू किया जा सके। इन कुल राहत कार्यों पर खर्च के लिये ४ करोड़ २४ लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन क्षेत्रों में अकाल की स्थिति अक्सर होती रहती है। अतः इसके स्थाई इलाज के लिये इस भूभाग में बड़ी तादाद में नल कूप खुदाये जाने के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। इस बारे में शोधकार्य केन्द्रीय सरकार के नल कूप खोज संगठन और राज्य सरकार के भूमितल जल बोर्ड के सहयोग से किया जावेगा।

९. वर्षा के अभाव, रबी की फसल को शीत लहर से होने वाले नुकसान और सारे देश में बढ़ने वाली कीमतों का असर इस राज्य में भी अनाज के भावों और दूसरे उपभोग्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ा है। १९५२-५३ के मूल्य स्तर

को यदि १०० माना जाय तो दिसम्बर, १९६३ में मूल्य स्तरों का अंक १३९.२ तक बढ़ गया। राज्य सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक है और अनाज के भावों में वृधि को रोकने के लिये कई उपाय कर रही हैं। सस्ते अनाज की दुकानों की मार्फत विदेशों से प्राप्त किया हुआ अनाज उचित मूल्य पर बेचा जा रहा है। राज्य के विविध भागों में इस समय १,२०० से अधिक सस्ते अनाज की दुकानें चल रही हैं। आवश्यकतानुसार कस्बों और गांवों में राज्य की ओर से सस्ते अनाज की दुकानें चलाने का फैसला किया गया है। कस्बों में प्राय: हर छ: हजार की आबादी के लिये ईस प्रकार की एक दुकान चलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

१०. चीनी आक्रमण से पैदा हुई आपत्कालीन परिस्थिति के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं के भावों को उचित स्तर पर रखने और अनुचित संग्रह को रोकने की दृष्टि से कस्बों और शहरों में उपभोक्ता भंडार खोलने की योजना क्रियान्वित की गई है। राज्य में अब तक ८ थोक सहकारी भंडार और ११० प्रारंभिक सहकारी उपभोक्ता भंडार संगठित किये गये हैं। जनता की सुबिधा के लिये इन भंडारों द्वारा कन्ट्रोल संबंधी और दूसरा सामान भी बेचा जा रहा है।

११. पिछले एक वर्ष में शक्कर की कमी के कारण कुछ असुविधा हुई है। तारीख १७अप्रेल, १९६३, को केन्द्रीय सरकार ने शूगर कन्ट्रोल ऑर्डर, १९६३, लागू किया जिसके अनुसार शक्कर का वितरण हो रहा हैं। शक्कर का वितरण उचित ढंग से हो और उसमें कालाबाजारी न होने पाये इस ख्याल से बड़े कस्बों में एक प्रकार की राशनिंग अर्थात पहचान–पत्रों द्वारा शक्कर वितरण की पद्धति चलाई गई है। आशा है कि शक्कर की आमद बढ़ कर यह कठिनाई निकट भविष्य में हल हो जायेगी।

१२. मूल्यों मे वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सरकार मुलाजिमो को कुछ राहत देने का विचार कर रही है। राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों के मुलाजिमों के लिये, जिन पर मजदूर कानून लागू होते हैं, १ फरवरी. १९६४, से पांच रुपये प्रति मास तदर्थ वृद्धि मंजूर की गई है जोकि Minimum Wages Act के मातहत बनाई गई निगरानी समितियों द्वारा प्रस्तावित वृद्धि में समायोज्य होगी। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि एक विशेषज्ञ समिति गठित हो जो यह निर्णय करे कि क्या वर्तमान उपभोक्ता-मूल्य-देशनांक-श्रेणी चालू उपभोग-पद्धतियों और मूल्यों के परिवर्तनों को भली प्रकार दर्शाती है, तथा यह परामर्श दे कि क्या उपभोक्ता-मूल्य-देशनांक को, किसी विशेष उद्योग में अथवा समस्त उद्योगों में मंहगाई भत्ते से संबंधित करना उचित होगा।

१३ कृषि उत्पादन में वृद्धि का विषय यों तो सदा ही महत्वपूर्ण रहा है किन्तु इस समय इस राज्य के अर्थतंत्र के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए इसका महत्व बहुत अधिक हो गया है। यह आवश्यक समझा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पुन:विचार किया जावे।

१४. कृषि उत्पादन कार्यक्रम का सीधा सम्बन्ध आबपशी की सुविधाओं, उन्नत बीजों तथा अच्छी खादों के उपयोग से है। राज्य में सुधरे हुए बीजों और उन्नत खादों के अधिकतम उपयोग की ओर सदैव प्रयत्न किये जाते रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि चम्बल के अतिरिक्त

अन्य सभी क्षेत्रों में प्राप्त साधनों के उपयोग में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। चम्बल क्षेत्र में भी इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि सिंचाई के उपलब्ध साधनों का पूरा प्रयोग हो।

१५. विशिष्ट क्षेत्रों में दो चुनी हुई फसलों यानी कपास और मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं। गंगानगर और भीलवाड़ा जिलों में कपास की खेती बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष में अकेले गंगानगर जिले में कपास की खेती १५ हजार एकड़ से बढ़ कर ६१,००० एकड़ हो गई है।

१६ हमारे योजना विभाग ने हाल ही में राज्य की योजनाओं का अन्त:कालीन मूल्यांकन किया जिसके अनुसार यह आशा की जाती है कि इस योजना काल के तृतीय वर्ष के अन्त तक ७.७५ लाख टन अनाज, १.०७ लाख टन तिलहन, १.०३ लाख गांठ कपास और ०.४६ लाख टन गन्ने का अतिरिक्त उत्पादन होगा। चौथे साल के लिये ४.३२ लाख टन अनाज, ०.४६ लाख टन तिलहन, ०.३० लाख गांठ कपास और ०.१५ लाख टन गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार के अध्ययन दल से विचार-विमर्श के समय उपरोक्त उत्पादनों के जो लक्ष्य निश्चित किये गये थे वे सब, गन्ने के उत्पादन-लक्ष्य को छोड़कर तीसरी योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे, बल्कि लक्ष्य से अधिक भी उत्पदन संभव हो सकेगा। उपर्युक्त आधार पर यह नतीजा निकालना गलत न होगा कि वर्तमान योजना के अंत तक राज्य १५ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा कर सकेगा।

१७. राज्य में पशुधन के विकास की बहुत बड़ी संभावनायें हैं और सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि पशुपालन के क्षेत्र में यथाशक्ति पूरी उन्नति की जाय ताकि राज्य के अर्थ-तन्त्र की दृढ़ता में इसका योगदान हो। खानाबदोश पशु पालकों को जो, चारे और पानी की खोज में, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं, बसाने के लिये एक स्कीम तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत उन स्थानों पर जहां यह पशु पालक सामान्यत: रहते हैं, नल कूप और टांके बनाने का विचार है। और यह भी योजना है कि ऐसे जलाशयों के आसपास इन लोगों को जमीनें दी जायं ताकि इनकी स्थायी रूप में बसने की ओर प्रवृत्ति हो। आशा है कि समय पाकर यह पशुपालक मिश्रित खेती की ओर, जिसमें पशु विकास पर अधिक बल हो, झुकेंगे। पशुपालन के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नल द्वारा जल ले जाने की योजना पर भी विचार हो रहा है ताकि विकास के इस क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके।

१८. पिछले वर्ष राज्य के ऊन उत्पादन साधनों के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना में भेड़ों की नस्ल को सुधारने और ऊन के कतरने और वर्गीकरण की प्रक्रिया को उन्नत करने की मिली-जुली व्यवस्था है। ऊन के वर्गीकरण कार्य में हमारे कार्यकर्ताओं को आस्ट्रेलियन विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाई गई है और कुछ को उच्च प्रशिक्षण के लिये दूसरे देशों में भी भेजा गया है। ऊन के वर्गीकरण केन्द्र खोले गये हैं जहां विदेशी विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। यह योजना उन्हीं जिलों में क्रियान्वित की जायगी जहां भेड़ें और मवेशी बहुतायात से पाले जाते हैं। आशा है कि इससे भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुधरेगी। इस समय यह योजना ५ वर्ष के लिये बनाई गई है और इस पर दो करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है।

१९. अन्तःकालीन मूल्यांकन से विदित होता है कि पशुओं के छूत रोगों और दूसरी बीमारियों को निर्मूल करने के लिये नये अस्पताल आदि खोलने को परियोजना के लक्ष्य पूरे हो जावेंगे।

२०. सहकारी क्षेत्र के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य निश्चित किये गये थे वे कई कारणों से पूरी तौर पर प्राप्त न हो सकेंगे। मसलन तीसरी योजना के अन्त तक ५८ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने की पूर्व योजना के मुकाबले में ५१ प्रतिशत परिवारों को ही सहकारिता के अन्तर्गत लाना संभव हो सकेगा। सहकारिता प्रसार के लिये जो सहायता संबंधित संस्थाओं से प्राप्त होगी उसमें भी इसी अनुपात से कमी हो जायेगी।

२१. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है। तीसरी योजना के अन्त तक इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में हो जावेगा।

२२. कृषि, पशुपालन और सहकारिता के कार्यक्रमों को अधिक सुचारु रूप से संपन्न करने और इन विभागों में सक्रिय समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से राज्य के विकास आयुक्त को कृषि उत्पादन का चार्ज भी दिया गया है और उन्हें इन तीनों विभागों का सचिव बनाया गया है। जिला, विकास खण्ड और गांव के स्तर पर उत्पादन समितियां स्थापित की गई हैं और यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में ग्राम सेवक कृषि विकास अधिकारी की रहबरी से मुख्यतः कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्य ही करें।

२३. राज्य के दो क्षेत्र, भरतपुर जिले में कामां-पहाड़ी और गंगानगर में घग्घर नाली, ऐसे हैं, जहां अक्सर बाढ़ का संकट रहता है। पिछले वर्ष इन बाढ़ों को रोकने के लिये दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं तथा कामां-पहाड़ी व घग्घर क्षेत्र में बाढ़ संकट के मुकाबले के के लिये योजना बनाई गई है जिसके क्रियान्वन के लिये धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

२४. पिछले वर्ष बहुउद्देशीय योजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। भाखरा परियोजना और कोटा बैरेज का निर्माण कार्य प्रायः पूर्ण हो गया है; और राणा प्रताप सागर, कोटा डेम और माही का काम जारी है। राजस्थान नहर क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र का विशेष महत्व है क्योंकि इसकी सिंचाई सीमा में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जिस पर पहली बार बस्तियां बसेंगी। अतः यह योजना अर्थ शास्त्र और समाज शास्त्र के एक मिलेजुले प्रयोग की भांति होगी। ऐसे व्यापक महत्व की विशाल योजना को पूर्ण करने के लिये भारी साधन अपेक्षित हैं जिनकी व्यवस्था, केवल राज्य सरकार के लिये अत्यन्त समय साध्य होगी। अतः राज्य सरकार ने योजना आयोग से यह आवेदन किया है कि भारत सरकार इस कार्यक्रम को विशेष महत्व का मान कर इस परियोजना के निर्माण और इसके अन्तर्गत आने वाले इलाके के विकास के लिये एक विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना करे।

२५. राज्य में विद्युत् शक्ति के विकास की स्थिति काफी संतोषजनक रही है। गांधीसागर विद्युत् केन्द्र पर चौथे यूनिट ने काम शुरू कर दिया है और हम वहां से प्राप्त होने वाली अपने हिस्से की संपूर्ण विद्युत् शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। भाखरा की ओर गत वर्ष में हमारे उपयोग का अनुपात ८० प्रतिशत

रहा। खेतड़ी कॉपर स्मेल्टर के लिये विद्युत् शक्ति की मांग बढ़ने पर आगामी वर्ष के आरंभ तक हम लोग इस ओर से प्राप्त विद्युत् शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग कर सकेंगे, ऐसी आशा है। गत वर्ष में छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार हुआ जिसके फलस्वरूप विद्युत् शक्ति का उपयोग बढ़ा। सन् १९६२ के अन्त में ११०० लाख युनिट बिजली का उपयोग हो रहा था जब कि वर्तमान वर्ष में यह उपयोग १५०० लाख युनिट यानी पिछले वर्ष से ३७ प्रतिशत अधिक रहा। देहातों में बिजली पहुंचाने की परियोजना में भी काफी प्रगति हुई। १९६२-६३ में २५४ बस्तियों में बिजली पहुंचा दी गई थी जब कि वर्तमान वर्ष में ३२८ बस्तियों को बिजली पहुंच चुकी है और वर्ष के अन्त तक ३५० बस्तियों को पहुंच जावेगी। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य जो ३०३ बस्तियों का था न सिर्फ पूरा हो जायेगा बल्कि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक होगी। खेती के कुओं पर बिजली पहुंचाने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल ने एक विशेष अभियान किया। सन् १९६२ के अन्त तक १३०० कुओं तक बिजली पहुंचाई जा चुकी थी और १९६३ में और १३०० कुओं तक बिजली पहुंचाने की परियोजना थी, जिसमें से ५५० कुओं में बिजली पहुंच चुकी है। इस राज्य में राणा प्रताप सागर परियोजना पर एक अणु शक्ति केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है जिसमें आरंभ में २०० M. W. बिजली बनेगी। किन्तु निकट भविष्य में ही इसकी क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी। इस परियोजना के लिये मशीनरी और तकनीकी मदद पहुंचाने के लिये भारत और कनाडा की सरकारों में मुआहिदा हो चुका है।

२६. विद्युत् शक्ति पर टैरिफ की उचित दर क्या हो, इस विषय पर राजस्थान ने जो टैरिफ कमेटी नियुक्त की थी उसकी सिफारिशों पर निर्णय ले लिये गये हैं और यह तय किया गया है कि भविष्य में विद्युत् शक्ति पर दो ही प्रकार के टैरिफ होंगे डीज़ल क्षेत्रों के लिये व गैर डीज़ल क्षेत्रों के लिये।

२७. क्षेत्रीय आधार पर विद्युत् शक्ति विकास के सिद्धान्त को पहली बार मान्यता दी गई है। यह विचार स्वागत योग्य है क्योंकि हमारे ख्याल में यह बात पूरे देश के हित में होगी और अल्प विकसित राज्यों को इससे विशेष लाभ होगा।

२८. पिछले वर्षों में औद्योगिक विकास के लिये सरकार ने जो विविध उपाय किये उनसे औद्योगिक विकास को स्फूर्ति मिली है। यह स्फूर्ति निरन्तर बढ़ रही है। इस वर्ष किशनगढ़ और भवानीमंडी में नई कपड़ा मिलों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। कोटा में पी० बी० सी०, कैल्शियम कार्बाइड और वूल टाप के कारखानों ने तथा जोधपुर में ऊन कताई के कारखानों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। उदयपुर में जिंक स्मेल्टर प्लान्ट की संतोषजनक प्रगति हो रही है। नवलगढ़ में सेवा-निवृत्त फौजियों की ऊन की मिल ने भी उत्पादन आरंभ कर दिया है।

२९. निकट भविष्य में ही निम्नलिखित उद्योगों के प्रारंभ की भी संभावना है:—

(१) कोटा में विद्युत् केबिल का कारखाना।

(२) आबूरोड में कागज और गत्ते का कारखाना।

(३) जयपुर में पानी के मीटर बनाने का कारखाना।

(४) उदयपुर में कच्चा लोहा तैयार करने का कारखाना।

(५) कोटा में रेयन टायर कोर्ड का कारखाना।

(६) चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का कारखाना।

कोटे की नायलोन फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता को ६०० किलोग्राम प्रति दिन से ७,००० किलो-ग्राम प्रति दिन तक बढ़ाये जाने की आशा है। कोटा में एक नॉन-फेरस एक्सट्रयुज़न प्लान्ट भी एक साल के अन्दर बन जाने की संभावना है। राज्य सरकार को तकुओं का कोटा मिला था जिसका उपयोग वर्तमान मिलों की क्षमता बढ़ाने अथवा नये कताई कारखाने खोलने के लिये कर लिया गया है। मौजूदा कपड़ा कारखानों ने अपनी विस्तार परियोजनाओं को पूरा कर लिया है अथवा उसका प्रबंध कर लिया है।

३०. राजस्थान में ३६,००० टन के बिजली के खम्भे बनाने की योजना भी है।

३१. सार्वजनिक क्षेत्र में डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना पूरा हो गया है और उसमें जांच के तौर पर उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। इस कारखाने से जो अनुभव प्राप्त होंगे उनसे यह आशा की जाती है कि १०० टन सोडियम सल्फेट का प्रतिवर्ष उत्पादन करने योग्य एक प्लान्ट शीघ्र ही और लगाया जा जा सकेगा। ४,४०० तकुओं का एक ऊन कताई कारखाना लगाने का भी सरकार ने निश्चय कर लिया है।

३२. राज्य के भूगर्भ विभाग ने पलाना क्षेत्र में लिग्नाइट का पता लगाने के लिये कार्य किया था जिसके फलस्वरूप कोलायतजी तहसील के भूगर्भ में लिग्नाइट के दो नये संग्रहों का पता लगाया गया है।

३३. कोटा में प्रेसीशन इन्स्ट्रयूमेन्ट फैक्ट्री का काम, जो केन्द्रीय सैक्टर में चल रहा है संतोषजनक प्रगति कर रहा है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण हो गई है और आशा की जाती है कि सन् १९६६ से प्रायः बीस करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य के माल का उत्पादन आरंभ हो जायेगा। खेतड़ी कॉपर स्मैल्टर के लिये भारत सरकार आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है।

३४. छोटे उद्योगों के क्षेत्र में १४ अलग अलग कस्बों में ३५३ शेड किराये पर देने के लिए तैयार हो चुके हैं इनमें से ३८० शेड दिये जा चुके हैं और १६५ में उत्पादन आरंभ हो गया है। फालना और रानी में सरकारी मदद से जो निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं उनमें १५ कारखानों में उत्पादन आरंभ हो गया है। ऐसे उद्योगों के लिये कि जिनके लिये लम्बे चौड़े भूक्षेत्र की आवश्यकता है, ११ स्थानों पर केन्द्र कायम किये गये हैं और इन केन्द्रों पर रियायती दर पर जमीनें मुहैया की गई हैं।

३५. लघु और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में राजकीय सहायता अधिनियम, १९५६ के स्थान पर एक नई नियमावली जिसका नाम राजस्थान के उद्योगों को सहायता (ऋण) नियम, १९६३, प्रचलित की गई है जिसके अन्तर्गत लघु और कुटीर उद्योगों को सहायता दी जाती है।

३६. राजस्थान के विभिन्न हस्तकला उद्योगों द्वारा जो माल पैदा किया जाता है

Page No. 19

उसकी मांग बढ़ रही है । इन वस्तुओं के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । कुछ उद्योगों के उत्पादनों के गुणांकन और बनावट की किस्मों पर अनुशासन रखने के लिये परियोजनाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं । १६ डिजाइन विस्तार केन्द्र भी विभिन्न पंचायत समितियों के क्षेत्रों में स्थापित कर दिये गये हैं और इनमें डिज़ाइनर लोग नियुक्त कर दिये गये हैं जो परम्परागत कला वस्तुओं के ऐसे नमूने तैयार करते हैं कि जो आधुनिक अभिरुचि वाले लोगों को पसन्द हों । ये नमूने हाथ के कारीगरों तक पहुंचाये जाते है ।

३७. इस वर्ष नागौर व चूरू जिलों में ग्रामोद्योग परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित किया जावे, गांवों में रोजगार बढ़ाया जावे और गांव में रहने वाली जनता के जीवन का स्तर ऊंचा उठाया जावे । इन दोनों स्थानों पर ऊन के कार्य के लिए सामान्य साधन केन्द्र (कॉमन फेसेलिटीज़ सेन्टर) भी बनाये जा रहे हैं । इन परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण कलाकारों को अपने कारोबार के लिए ऋण दिये जाते हैं और प्रशिक्षण के लिए सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाती हैं ।

३८. पब्लिक सैक्टर के विस्तार और राज्य सरकार की गैर टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिये सरकार ने यातायात के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया है और अब तक इसमें संतोषजनक प्रगति हुई है। रोडवेज़ कोर्पोरेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रीयकृत यातायात का विस्तार बढ़ाया जा सके और उसको व्यापारिक आधार पर चलाया जा सके ।

३९. योजनाबद्ध समाजवादी अर्थतन्त्र में पब्लिक सैक्टर का महत्व किसी से छिपा नहीं है । राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों का विस्तार बढ़ाया जावे । इसके लिये एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक स्वतन्त्र विभाग खोला गया है । सरकार ने निश्चय किया है कि निर्माण कार्यों के कार्यक्रमों से बिचौलियों का हटा दिया जाय । सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा सिंचाई विभागों को हिदायत दी गई है कि वे अधिकाधिक विभागीय रुप से निर्माण कार्यों को हाथ में लें और खान विभाग को आज्ञा दी गई है कि वह खानों की रॉयल्टी ठेकेदारों के मारफत वसूल करने में उत्तरोत्तर कमी करें ।

४०. राज्य सरकार प्रारंभ से निरन्तर श्रमिकों के कल्याण में दिलचस्पी लेती रही है । जब तक उत्पादन में श्रमिकों द्वारा दिये जाने वाले महत्वपूर्ण योग को मान्यता नहीं दी जावेगी, तब तक औद्योगिक विकास में उनका पूर्ण सहयोग सुनिश्चित नहीं होगा । यह हर्ष की बात है कि इस वर्ष राज्य में औद्योगिक शांति कायम रही । सरकार को विदित है कि श्रमिक वर्ग बढ़ती हुई कीमतों से आक्रमन्त है, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार जो कार्यवाही करने का विचार कर रही है वह उनको, जितना अखिल भारतीय संदर्भ में संभव होगा, राहत दे सकेगी ।

४१. पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिये शोध कार्य और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर में एक जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया हैं । पिछड़ी हुई जातियां को कृषि भूमि देने के बारे में जो

Page No. 20

सुविधाएं प्राप्त थीं व अब भी दी जा रही हैं। राज्य सरकार का यह भी विचार हैं कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों को सहकारी क्षेत्र में हिस्सा पूंजी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जावे।

४२. शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों की भरती संबंधी लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लेना कठिन होगा। शिक्षा पर १६४६ में ६२.६० लाख रु० व्यय होता था जो वर्तमान आर्थिक वर्ष में १२.८४ करोड़ तक पहुंच गया है।

४३. दूसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के वय-वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत ३७.४ था जो तीसरी योजना के अन्त तक ५५.७ हो जायगा। इसके विषय में लक्ष्य ६०.४ प्रतिशत रखा था। उपलब्धि में यह कमी किसी हद तक अर्थाभाव से हुई, किन्तु इसका एक कारण यह भी है कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा बहुत कम है। तीसरी योजना के अन्त तक स्कूलगामी बालकों में ७८.६ प्रतिशत लड़के होंगे और ३०.२ प्रतिशत लड़कियां। मिडिल और हाई स्कूलो की संख्या के लिहाज से यह राज्य तीसरी योजना के अन्त तक अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच जायगा। पिछले वर्ष रीजनल इंजी– नियरिंग कालेज ने जयपुर में काम करना शुरू कर दिया है। इस कॉलेज के ६० विद्यार्थियों को प्रारंभतः पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में अतिथि छात्र की भांति भर्ती किया गया और आगामी शिक्षण वर्ष में उनको जयपुर ले आया जायगा। अगले सत्र से जयपुर में छात्रों की भर्ती शुरु हो जावेगी। सरकार ने ललित कलाओं के उत्थान में पूरी दिलचस्पी ली है। तीनों अकादमियों ने, जो इस उद्देश्य से गठित की गई हैं, राज्य के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। रवीन्द्र मंच के संस्थापन ने हमारे दायित्व को और बढ़ा दिया है। सरकार इन अकादमियों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है, जिससे कि वे उन ललित कलाओं एवं संस्कृति के विकास में प्रयत्न-शील रहें जिनके लिये यह राज्य प्रख्यात है।

४४. राजस्थान को संस्कृत-पाण्डित्य का सुदृढ़ केन्द्र होने की ख्याति प्राप्त है और इस राज्य ने ज्योतिष व आयुर्वेद विज्ञान की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत मानी गई है। अतः इस भाषा द्वारा अभिव्यक्त किये गये ज्ञान को संरक्षित व विस्तृत करना आवश्यक है। इस हेतु, राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो यहां एक विश्वविद्यालय, जिसमें संस्कृत के माध्यम से शिक्षण हो, स्थापित किये जाने तथा अन्य संबंधित तथ्यों, पर विचार करेगी।

४५. चिकित्सा क्षेत्र में मलेरिया व चेचक उन्मूलन तथा ऐलोपेथिक और आयुर्वेदिक चिकि-त्सालयों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना संबंधी लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। गत वर्ष जन स्वास्थ्य संतोषजनक रहा और किसी प्रकार की बवाई बीमारी नहीं हुई।

४६. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये पेय जल की व्यवस्था इस राज्य की एक भारी आवश्यकता है। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। सन् १६६३–६४ में १५ शहरी और २० ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं पूरी हो जाने की आशा है। पेय जल के लिए जो कुए खोदे गए है वे इसके अतिरिक्त हैं। राज्य

सरकार ने ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण और परीक्षण के लिए एक जल बोर्ड का निर्माण किया है। ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाएं तैयार करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मातहती में विशेष जांच इकाई का भी निर्माण किया गया है।

४७. तृतीय पंच वर्षीय योजना में सड़क निर्माण के लिए ११५० लाख रु० का प्रावधान था जिसमें से योजना के तृतीय वर्ष के अन्त तक ५५० लाख रु० व्यय हो जाने की आशा है। इस मद में अर्थाभाव के कारण तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति होना कठिन है किन्तु राज्य सरकार को इस क्षेत्र की आवश्यकताओं का पूरा एहसास है। और इसके लिए अधिक ध्यान देने का पूर्ण प्रयत्न किया जावेगा।

४८. राज्य सरकार ने भूमि पर स्वामित्व अधिकार दिये जाने की पद्धति को प्रजातांत्रिक ढांचे में ढालने के निमित्त भूमि सुधारों की नीति का सक्रिय रूप से अनुसरण किया है। गत दशक या इससे अधिक अवधि में इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं। विधान सभा के गत सत्र में कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के पारित हो जाने से तृतीय योजना अवधि के लक्ष्य पूर्ण हो गये हैं। सीलिंग अधिनियम १५ दिसम्बर, १९६३, से लागू हो गया। अधिकतम सीमाएं अलग अलग चरणों में लागू की जायेंगी। पहले चरण में, राजस्थान नहर क्षेत्रों के अलावा, अन्य समस्त क्षेत्रों में १५० साधारण एकड़ या अधिक के भूमि-क्षेत्रों में यह लागू किया गया है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण कदम राज्य विधान मण्डल द्वारा, राजस्थान भूमि सुधार (भूस्वामियों की भूसम्पदा अवाप्ति) अधिनियम, १९६३, का पारित किया जाना है। राज्य सरकार ने इस विधान का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिये किया था कि भूतपूर्व नरेशों के आधिपत्य में विद्यमान कृषि भूमि के विशाल क्षेत्र, राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाकर, अवाप्त किये जा सकें। खातेदारी अधिकार न दिये जाने सम्बन्धी टीनेन्सी एक्ट की धाराओं को छोड़कर, नरेशों की भू-संपदाओं के आसामियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना भी इस अधिनियम का उद्देश्य था। यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये आरक्षित रखा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

४९. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ाने और बेकारों व अर्द्ध बेकारों को काम दिलाने की दिशा में संतोषजनक सफलता हुई है। अर्थ शास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा किये हुए अध्ययन से विदित हुआ है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रारंभ में १.८ लाख लोग बेकार थे। तृतीय योजना के दौरान इस संख्या में ८.५ लाख की वृद्धि हुई। आशा की जाती है, तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि मे ६.८५ लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की सबील होगी। द्वितीय योजना की अवधि (१९५५-५६ से १९६०-६१) में चालू मूल्य स्तरों के आधार पर राष्ट्रीय आय में ६.९० प्रतिशत प्रतिवर्ष की तथा १९५४-५५ में रायज मूल्यों के आधार पर २.७७ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई थी। इसी अवधि में व्यक्तिगत आय में चालू मूल्यों के आधार पर ४.४२ प्रतिशत की-और स्थिर मूल्यों के आधार पर ४.४२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इससे विदित होगा कि यद्यपि राज्य में कुल आय बढ़ी है किन्तु बढ़ती हुई आबादी ने इस

वृद्धि को बहुत कुछ परिमित कर दिया है। १९५१ से १९६१ की अवधि में राज्य में जन संख्या की वृद्धि का प्रतिशत २.६ प्रतिवर्ष रहा है।

५०. योजना निर्माण के समष्टि मूलक दृष्टिकोण के आधार पर चौथी पंच वर्षीय योजना की तैयारी का काम प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि उत्पादन, विद्युत् शक्ति, उद्योग, खनिज और आर्थिक साधनों जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर योजना की मोटे तौर पर रूपरेखा तैयार करने के लिए, विशेषज्ञों की समितियां नियुक्त कर दी गई हैं और उनको चालू आर्थिक वर्ष की समाप्ति के पहले पहले अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर इनकी जांच विभागीय कार्यकारी दलों द्वारा की जावेगी। ऐसे दलों की सिफारिशों के आधार पर योजना विभाग द्वारा योजना का ढांचा तैयार किया जाकर उसे प्लानिंग बोर्ड व राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

५१. इस अवधि में पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं को अधिकाधिक महत्व दिया गया है और ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इन संस्थाओं का सम्पर्क योजना निर्माण के कार्य में अधिकाधिक बढ़ाया जावे। यह विचार किया गया है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को (१) राज्य की योजना (२) जिले की योजना (३) पंचायत समिति की योजना इन तीनों भागों में बांटा जावे। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के संकेत दे दिये जावेंगे कि अधिक से अधिक उपलब्धि के लिए राज्य के भिन्न भिन्न साधन क्षेत्रों को किस दिशा में विकसित किया जावे। इसके पश्चात् अलग अलग विभागों के अध्यक्ष अपने अपने विषय-क्षेत्र के अन्तर्गत हर जिले के लिए व्यवहारिक योजना बनायेंगे। समन्वित योजना बनाने के लिए क्षेत्र विशेष में उपलब्ध भौतिक, तकनीकी और प्रशासनिक साधनों को ख्याल में रखना जरूरी है। यह भी प्रस्ताव है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की अवधि में विकास खंड में होने वाले विविध पक्षीय कार्यों के लिए उपलब्ध होने वाले धन का छोटा अन्दाजा पहले से बता दिया जावे। इस सूचना के आधार पर पंचायत समितियां ग्राम सभाओं की सलाह और द्रव्य की संभावित उपलब्धि के आधार पर पंचायत वार लक्ष्य निश्चित करेंगी। यह लक्ष्य प्रधानतः निम्न विषयों पर निश्चित किये जावेंगे:-

क. (क) आबपाशी की व्यक्तिगत योजनाएं (कूएं व छोटी नालियां)।

(ख) आबपाशी की सामूहिक योजनाएं (छोटे बन्ध और एनीकट या आबपाशी की ग्राम योजनाएं)।

ख. (ग) मेडबन्दी और कण्टूरबन्दी।

(घ) बीज की आवश्यकताएं।

(ङ) खाद।

(च) खेती के औजार।

(छ) पौध संरक्षण सामग्री और कीटाणुनाशक दवाइयां।

(ज) कृषि कार्यों के लिये ऋण।

५२. आपत्कालीन परिस्थितियों के कारण शहरों की स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर दिये गये थे। ये सब चुनाव दिसम्बर

१९६३ में करा दिये गये हैं ताकि इन संस्थाओं को सौंपी हुई सार्वजनिक जिम्मेदारियों का दायित्व जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिगण ग्रहण करें। पंचायतों के चुनाव मई १९६४ में कराने का इरादा था किन्तु राजस्थान के बड़े भाग में अभाव की परिस्थितियां व्याप्त हो गईं। बालिग आबादी का बहुत बड़ा भाग अभावग्रस्त प्रदेश को छोड़कर अस्थायी रूप से उन इलाकों में चला गया कि जहां राहत कार्य चल रहे हैं। इन परिस्थितियों के कारण यह निश्चय किया गया है कि ये चुनाव आगामी वर्षा ऋतु के पश्चात् कराये जावें। उस समय तक पंचायती राज की प्रगति की जांच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट भी प्राप्त हो जायगी, ऐसी आशा है।

५३. राज्य के उत्कर्ष के लिए आवश्यक सृजनात्मक प्रवृत्तियों में अपनी समस्त शक्तियां लगाने के लिए राज्य की जनता का आह्वान किया जा रहा है। यह कार्य विशाल और महान् है और इसकी पूर्ति के प्रयत्नों में हमारे शासन तंत्र पर काफी बोझ पड़ रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि राजकीय प्रक्रिया को सरल बनाया जावे और कार्य को आवश्यक वेग व शीघ्रता से करने का अहसास पैदा किया जावे तभी यह आशा की जा सकती है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के सब प्रयत्नों को जनता अपना काम समझ कर सहयोग करेगी और ऐसा करने में गौरव महसूस करेगी। उपरोक्त आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार प्रशासनिक समस्याओं पर गहरी नजर रख रही है और सरकारी विधि और प्रक्रियाओं की समय समय पर जांच करती रही है। इस उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार कमेटी, रेवेन्यू लॉ कमीशन और पंचायत राज अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है। प्रशासनिक जांच कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है तथा दूसरी सिफारिशें विचाराधीन हैं। रेवेन्यू लॉ कमीशन की भी पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार हो रहा है

५४. राज्य सरकार ने प्रशासन में सुधार लाने तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों और विश्वसनीयता की कमी के संबंध में प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करने के लिए न्यूनाधिक रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समान ही, एक सतर्कता आयोग गठित करने का निश्चय किया है। राज्य का भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग सफलता पूर्वक इसी के अनुरूप पहले से ही कार्य कर रहा था और इसके कार्यकलापों को घनीभूत करना आवश्यक समझा गया था। प्रशासनिक कार्यकरण संबंधी जनता की शिकायतों पर विचार करने तथा उनके संबंध में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही किये जाने, तथा आवश्यकतानुसार राहत देने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का भी निश्चय किया है।

५५. पिछले दशक में जिन नीतियों का अनुसरण किया गया है और गत वर्षों में पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं द्वारा जो कार्य हुआ है उससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और हमारे कार्य के आर्थिक और सामाजिक पक्ष स्पष्ट और सुदृढ़ हुए हैं। राज्य सरकार देश में "प्रजातांत्रिक समाजवाद" स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति सजग हैं। हम सब जानते हैं कि इस संबंध में अब तक किये गये, अथवा निकट भविष्य में किये जाने वाले, समस्त प्रयत्नों के बावजूद हम केवल ऊपरी सतह ही छू पाये हैं। परन्तु हमें आशा एवं

विश्वास है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और ज्यों ज्यों हमारे साधन बढ़ेंगे और सामाजिक स्थिति सुधरेगी, हमारी प्रगति निःसन्देह तीव्र होगी। हमारे सामने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। और चतुर्थ योजना काल में यह आवश्यक होगा कि हम और भी सुदृढ़, निश्चय, अनुशासन, सहयोग भावना और त्यागवृत्ति के साथ उसकी ओर अग्रसर हों। आप लोग जन-नेता हैं और विकास प्रयत्नों के लिए जन शक्ति को अधिकाधिक प्रेरित और प्रयुक्त करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी कामना है कि प्रभु आपको इस महान् कार्य के सम्पादन के लिये आवश्यक शक्ति, अनुभव और विवेक प्रदान करे।

जय हिन्द !

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २१ फरवरी, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
आ	१	(गुढा मालानो)	(गुढा मलानी)
ऊ	१८	५. श्री डा० पोहूमल ईसरदास	५. डा० पोहूमल ईसरदास
ऐ	अन्तिम पंक्ति	५. श्री राजा श्री मानसिंह (डीग)	५. राजा श्री मानसिंह (डीग)
ओ	१६	४. श्रीमती गोरी पूनिया	४. श्रीमती गौरी पूनिया
७	१३	(शिक्षा मंत्री	(शिक्षा मंत्री)
"	अन्तिम से ५	राजस्थन	राजस्थान
१२	१२	बिधयक १९६४	विधेयक, १९६४
१७-१८	शीर्ष	संक्षिप्त-विवरण	संक्षिप्त-विवरण
१७	६	दुर्घटना	दुर्घटना
१९	अन्तिम से ३	नर्स	नर्स
२०	२	वैधकरण)	वैधकरण)
"	१०	सशोधन	संशोधन
"	१४	"	"
"	१५	क भी	को भी
२३	२०	के लिये	के लिये
२४	६	म	में
२५	२	समाप्त	समाप्त
"	१६	गय जहां	गये जहां
२७	४	वृधि	वृद्धि
"	१३	ईस	इस
२८	अन्तिम से ५	आबपशी	अबापाशी
"	" " ३	अधिकतम	अधिकतम
२९	२७	उत्पदन	उत्पादन
३०	८	ओर	और
३२	अन्मित से २	आर	और

१	२	३	४
३३	६	विद्यत्	विद्युत्
३५	अन्तिम से ५-४	लगया जा आ	लगाया जा
३६	४	क पंता	का पता
"	२६	अघिनियम	अधिनियम
३८	२	पब्लिक	पब्लिक
३६	अन्तिम से ४	वष	वर्ष
४०	१८	सस्कृत	संस्कृत
४४	१३	लद्धय	लक्ष्य